11.12.17 वादी के वकील उपस्थित / प्रतिवादी सं. 13 व 16 एकतरफा / शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी पेश नहीं किये। न्याय हित में अंतिम अवसर दिया जाता है वास्ते तलबी - तामीली 6.3-18 को पेश करें।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

06/03/18 वकील वादी उप / प्रतिवादी सं. 13 व 16 एकतरफा / सं. 18 के वकील उप / वकील वादी द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी समन तलबना प्रतिवादीगण की तलबी हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है आदेशिकाओं की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है प्रतिवादी सं. 18 की ओर से प्रस्तुत आवेदन u/s 07. R 11 CPC का पेश किया जो तामील रोकने को अतः वादी का वाद O-9 R-5 CPC के अन्तर्गत आदेश पालना में खारिज किया जाता है। मालती कुमार फैसल बजरिए दावेदार दर्ज हो।

Scanned by CamScanner